न्यायालय तहसीलदार, डीडवाना – नागौर (राज0)
बईजलास – श्री पैमाराम चौधरी आर.टी.एस.

मु0 सं0 01/17 — दायर दिनांक 18.04.2017

प्रार्थी		अप्रार्थी
पटवारी हल्का बालिया	V/s	श्री इब्राहिम पुत्र श्री जमालू जाति देशवाली निवासी रामसाबास

अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 12.09.2017

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि **पटवारी हल्का बालिया** ने **दिनांक** 18.04.2017 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी **श्री इब्राहिम पुत्र श्री जमालू जाति देशवाली निवासी रामसाबास तह. डीडवाना** ने **खसरा नम्बर** 279 किस्म गै.मु.कब्रिस्तान रकबा **0.19 बीघा** में सें **0.09** बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का बालिया की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी के नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी लगातार अनुःउपस्थित रहा।

हमने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली भांति अध्ययन एंव पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम **रामसाबास** के **खसरा नम्बर** 279 किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान रकबा **0.19 बीघा में सें 0.09 बीघा** भूमि पर **श्री इब्राहिम पुत्र श्री जमालू जाति देशवाली निवासी रामसाबास तह. डीडवाना** ने अतिक्रमण किया है ।

अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन है। जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। **अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।** अप्रार्थी को ख0न0 279 किस्म किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान **रकबा 0.19** बीघा में सें 0.09बिघा भूमि पर से बेदखल किया जानें आदेश दिये जाते है। तथा भूमि के वार्षिक **लगान दर** 0.30 रू0 के 50 गुणा से **रूपये 15 अक्षरे पन्द्रह रूपये मात्र** की शास्ति से दण्डित किया जाता है।

भू0अ0निरीक्षक **निम्बी कलां** व पटवारी हल्का **बालिया** को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखली हेतु तहरीर जारी हो एवं एवं **त0रा0ले0 कार्यालय हाजा** को मांग कायमी हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सम्बंधित पृविष्ठियां रजिस्टर रा.लेखा
सं. 47 के पृष्ठ 12 पर 15/- पन्द्रह रुपये
दिनांक 13/9/17 को अंकित की गई।
त.रा.ले.डीडवाना

(पैमाराम चौधरी)
तहसीलदार, डीडवाना